

प्रारूप "ख"
(देखिये नियम 9(3) और 9(4))

कार्यालय विहित प्राधिकारी जिला कलेक्टर, सिरौही

संख्या/प.12(3)(25)राज/2015/3028-35

दिनांक 01.08.2015

संपरिवर्तन आदेश

मैसर्स बी.जी.मुथा ग्रुप (भागीदारी फर्म), पंजीकृत कार्यालय 32 सैकण्ड भोईवाडा, ग्राउन्ड फ्लोर, भुलेश्वर, मुंबई एवं वर्तमान कार्यालय 10-ई निरव मेशन, फर्स्ट फ्लोर, भांगवाडी, कालबादेवी रोड, मुंबई-2 के आवेदन पर उनकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन (आवासीय) संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं :-

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पत्नि के नाम सहित पूरा पता	मैसर्स बी.जी.मुथा ग्रुप (भागीदारी फर्म), पंजीकृत कार्यालय 32 सैकण्ड भोईवाडा, ग्राउन्ड फ्लोर, भुलेश्वर, मुंबई एवं वर्तमान कार्यालय 10-ई निरव मेशन, फर्स्ट फ्लोर, भांगवाडी, कालबादेवी रोड, मुंबई-2																																				
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति / जनजाति का सदस्य है	नहीं																																				
3. संपरिवर्तित भूमि का विवरण:- (अ) ग्राम/ग्राम पंचायत / तहसील का नाम (ब) भूमि का खसरा नंबर व प्रत्येक खसरा नंबर का क्षेत्रफल (बीघा में) (स) रूपान्तरित क्षेत्र (बीघा या वर्गमीटर में) (द) प्रत्येक खसरा नंबर मय क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	ग्राम मुदरला, ग्राम पंचायत मुदरला, तहसील आबूरोड <table><tr><th>ख.नं.</th><th>रकबा (बीघा में)</th><th>किस्म भूमि</th></tr><tr><td>747/388</td><td>3.06</td><td>न I</td></tr><tr><td>382</td><td>13.15</td><td>न I</td></tr><tr><td>778/383</td><td>2.05</td><td>न I</td></tr></table> कुल किता-3 कुल रकबा 19.06 बीघा अर्थात् 48,815.21 वर्गमीटर <table><tr><th>ख.नं.</th><th>रकबा (बीघा में)</th><th>किस्म भूमि</th></tr><tr><td>747/388</td><td>3.06</td><td>न I</td></tr><tr><td>382</td><td>13.15</td><td>न I</td></tr><tr><td>778/383</td><td>2.05</td><td>न I</td></tr></table> कुल किता-3 कुल रकबा 19.06 बीघा अर्थात् 48,815.21 वर्गमीटर <table><tr><th>ख.नं.</th><th>रकबा (बीघा में)</th><th>किस्म भूमि</th></tr><tr><td>747/388</td><td>3.06</td><td>न I</td></tr><tr><td>382</td><td>13.15</td><td>न I</td></tr><tr><td>778/383</td><td>2.05</td><td>न I</td></tr></table> कुल किता-3 कुल रकबा 19.06 बीघा अर्थात् 48,815.21 वर्गमीटर	ख.नं.	रकबा (बीघा में)	किस्म भूमि	747/388	3.06	न I	382	13.15	न I	778/383	2.05	न I	ख.नं.	रकबा (बीघा में)	किस्म भूमि	747/388	3.06	न I	382	13.15	न I	778/383	2.05	न I	ख.नं.	रकबा (बीघा में)	किस्म भूमि	747/388	3.06	न I	382	13.15	न I	778/383	2.05	न I
ख.नं.	रकबा (बीघा में)	किस्म भूमि																																			
747/388	3.06	न I																																			
382	13.15	न I																																			
778/383	2.05	न I																																			
ख.नं.	रकबा (बीघा में)	किस्म भूमि																																			
747/388	3.06	न I																																			
382	13.15	न I																																			
778/383	2.05	न I																																			
ख.नं.	रकबा (बीघा में)	किस्म भूमि																																			
747/388	3.06	न I																																			
382	13.15	न I																																			
778/383	2.05	न I																																			
टिप्पणी : अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि को लाल रंग से दर्शाते हुए राजस्व नक्शों के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।																																					
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	आवासीय																																				
5. भुगतान योग्य संपरिवर्तन शुल्क की दर	7.50 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से राशि ₹ 3,66,114/- (अक्षरे ₹ तीन लाख छसठ हजार एक सौ चौदह मात्र)																																				

जिला कलेक्टर सिरौही

(2)

6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	मद चालान नं./दिनांक राशि ₹ 0029 भू-राजस्व 372/18.02.15 ₹ 3,66,250/- (GRN 5081944)
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ती यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम (बैंक में जमा राशि की दिनांक)	(1) मद 0029 भू-राजस्व चालान नं. - दि. - राशि रु. -
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज (यदि कोई हो) की जमा कराई गई रकम (बैंक में जमा राशि की दिनांक -)	(1) मद 0029 भू-राजस्व चालान नं. - दि. - राशि रु. -
9. क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है ?	नहीं

10. अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हो -----

- (1) राष्ट्रीय राजमार्ग/स्टेट हाईवे के मध्य से 40 मीटर छोड़ कर, मुख्य जिला मार्ग के मध्य से 25 मीटर छोड़ कर तथा अन्य जिला सड़क के मध्य से 15 मीटर तथा ग्रामीण सड़क से 12.50 मीटर छोड़ कर संपरिवर्तित भूमि पर निर्माण का प्रावधान है। जिसकी पालना करते हुए तथा नियमानुसार अन्य औपचारिकता पूर्ण करते हुए निर्माण कार्य सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर करना होगा।
- (2) राज्य सरकार द्वारा कोई शुल्क अगर निर्धारित किया जायेगा अथवा संपरिवर्तन शुल्क की गणना में या ऑडिट आक्षेप में कोई अन्तर राशि देय होगी तो प्रार्थी जमा कराने के लिए सदैव बाध्य रहेगा।
- (3) आवासीय कॉलोनी संपरिवर्तित करने के लिए संपरिवर्तन क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा तथा शेष 60 प्रतिशत भूमि जिसमें 5 प्रतिशत भूमि वाणिज्यिक उपयोग सहित एवं रास्तों की चौड़ाई स्वीकृत प्लान अनुसार रखते हुए विहित प्राधिकारी से निर्माण स्वीकृति प्राप्त करना होगा।
- (4) राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, उनकी पालना की जायेगी।
- (5) निकटस्थ स्थानीय निकाय की उप विधियों एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निर्माण कार्य व निर्मित भाग भी निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप ही करना होगा।
- (6) यदि प्रार्थी इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों में वर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रस्तावित स्थल तक जाने के लिए रास्ता चाहते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से प्रस्तावित स्थल तक जाने के लिए रास्ता चाहते हैं, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग का मार्गाधिकार छोड़ना होगा। आवेदित भूमि तक निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप विधिवत पहुँच मार्ग प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराना होगा।
- (7) राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, राज. जयपुर के परिपत्र क्रमांक/प.6(6)राज-6/92पार्ट/21 दिनांक 27.6.07 के अनुसार आवासीय कॉलोनी में विकासकर्ता द्वारा निम्न शर्तों की पालना की जायेगी :-
 1. विकासकर्ता को आवासीय कॉलोनी/प्रोजेक्ट के बाहर की सम्पर्क सड़क तथा अन्दर की सड़कें स्वयं बनानी होगी।
 2. आवासीय कॉलोनी/प्रोजेक्ट में बिजली, पानी की अन्य आधारभूत सुविधाएँ स्वयं विकसित करनी होगी।
 3. कुल संपरिवर्तित क्षेत्रफल का 40 % क्षेत्र जो सड़क के लिए छोड़ा गया है, उसे राज्य सरकार को समर्पित करना होगा।
 4. आवासीय कॉलोनी/प्रोजेक्ट की चार दीवारी बनवानी होगी तथा पाकों का विकास करना होगा।

(3)

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

- (1) उपर्युक्त अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
- (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया रूपान्तरण शुल्क समपहृत हो जावेगा।
- (3) कृषि भूमि रूपान्तरण नियम 2007 के नियम-4 के अन्तर्गत ऐसी भूमि जिसका संपरिवर्तन संभव नहीं है उस भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जायेगा।
- (4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग को अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं प्रयुक्त किया जावेगा।



जिला कलक्टर, सिरौही
(विहित प्राधिकृत अधिकारी)
जिला दिनांक 07.08.2015

संख्या/प.12(3)(25)राज/2015/3028-35

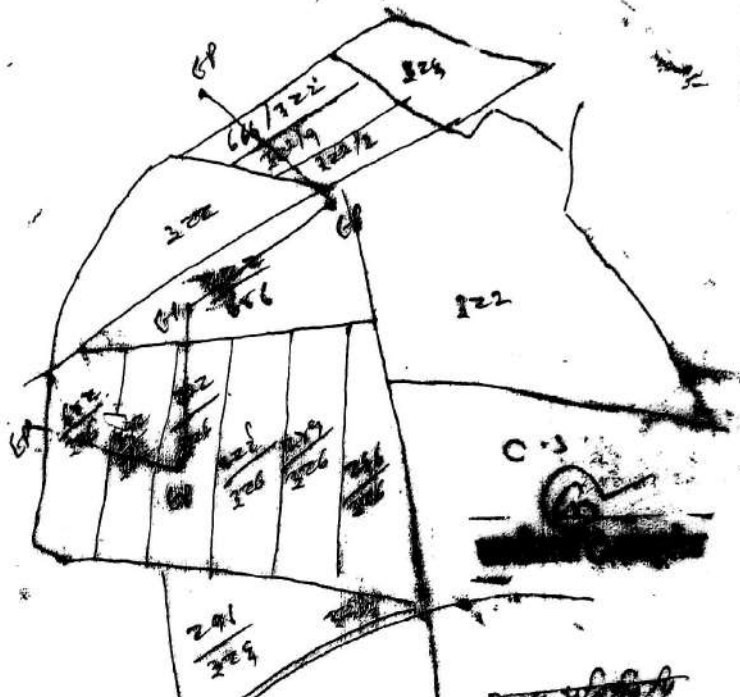
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत।
2. तहसीलदार, आबूरोड को मय नक्शा ट्रेस के नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. उप पंजीयक, आबूरोड, तहसील आबूरोड।
4. सरपंच, ग्राम पंचायत, मुदरला (पंचायत समिति, आबूरोड)
5. पटवारी हल्का आमथला (तहसील आबूरोड)
6. मैसर्स बी.जी.मुथा ग्रुप (भागीदारी फर्म), पंजीकृत कार्यालय 32 सैकण्ड भोईवाडा, ग्राउन्ड फ्लोर, भुलेश्वर, मुंबई एवं वर्तमान कार्यालय 10-ई निरव मेशन, फर्स्ट फ्लोर, भांगवाडी, कालबादेवी रोड, मुंबई-2 को मय नक्शा ट्रेस एवं ले-आउट प्लान के।
7. जिला राजस्व लेखा शाखा, कलक्टर कार्यालय सिरौही।
8. गार्ड फाईल।

जिला कलक्टर, सिरौही
जिला कलक्टर, सिरौही



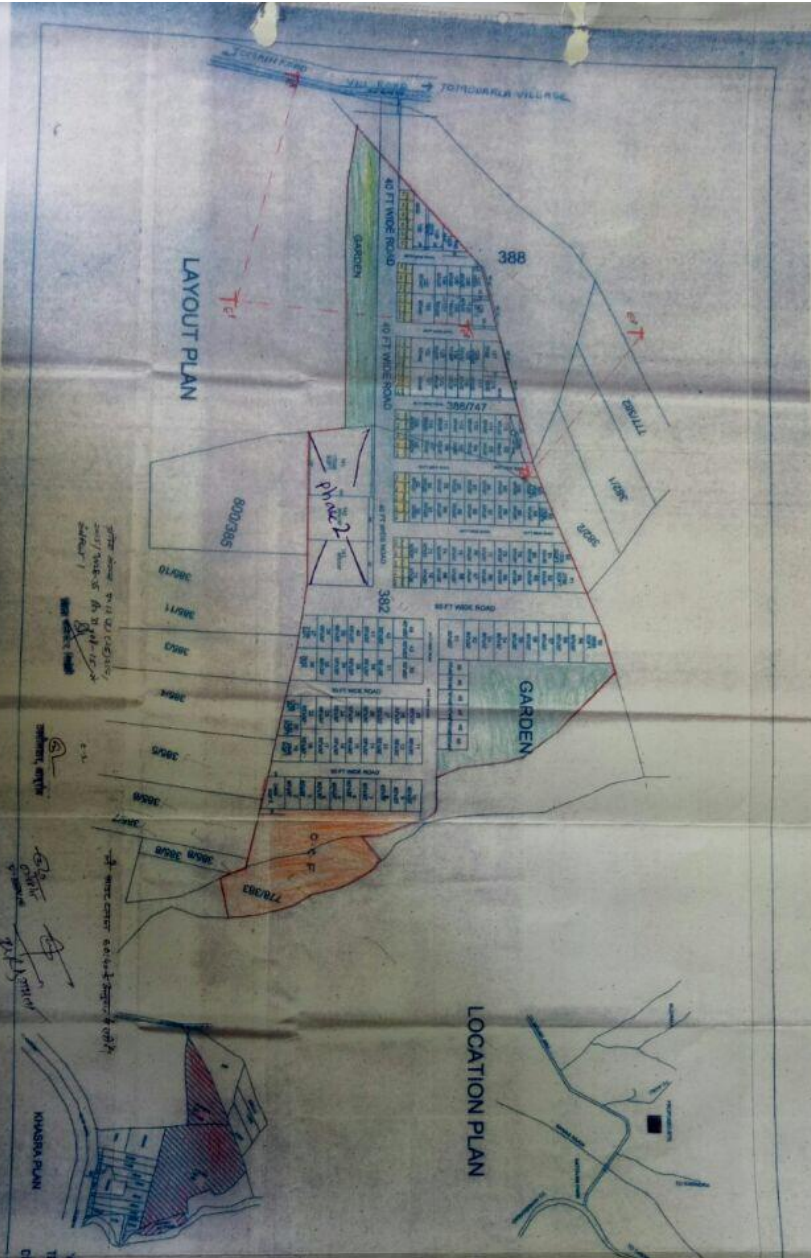
काला लाली विभाग
7
मोटा-मुलाय
जमीन-कागज
मोटा डि. डि. - कागज
मोटा 11/31



आदेश संख्या 12(3) (25)
2008-35
31-08-2008

जिला कलेक्टर सितोही

महाराष्ट्र सरकार
पत्र संख्या 127
12/8/08
पुणे



LOCATION PLAN



MASSA PLAN

VILLAGE - MADHURA
TEH - MADHURA
DIST - MADHURA

RESIDENTIAL LOT AREA		TOTAL LOT AREA	
LOT NO.	AREA	LOT NO.	AREA
382	13.8000	382	13.8000
779033	13.8000	779033	13.8000
747280	13.8000	747280	13.8000
TOTAL LOT AREA	41.4000	TOTAL LOT AREA	41.4000

DATE: 10/10/2019
BY: [Signature]
FOR: [Signature]